

— उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1726 / रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
रॉंची।

बोकारो, दिनांक 09/07/2020

विषय :- झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, रॉंची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, रॉंची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 892/आ0, दिनांक 08.07.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि शिकायत सं0 12062020002, 1262020004, 12062020005, 13062020006, 11062020021, 11062020032 एवं 11062020038 में शिकायतकर्ता द्वारा पी0एच0एच0 राशन कार्ड में अपने परिवार का नाम जोड़ने की माँग की गई है। आवेदक को दूरभाष के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दी गई है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु ऑनलाईन की गयी आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर पुराना समाहरणालय, बोकारो के कार्यालय में कमरा नम्बर-19 में जमा करें। आवेदक द्वारा दिए गए ऑनलाईन आवेदन को जाँचोपरांत रिक्ति होने पर प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी।

अतः अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन



अपर समाहर्ता,

—सह—

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 892 / आ0,

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

अपर समाहर्ता,
-सह-
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

बोकारो, दिनांक 04/07 / 2020

विषय -


झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत की जाँच कर
जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची से
प्राप्त शिकायत संख्या- 12062020002, 12062020004, 12062020005, 13062020006,
11062020021, 11062020032 एवं 11062020038 शिकायतकर्ताओं द्वारा पी0एच0एच0 राशन
कार्ड में अपने परिवार का नाम जोड़ने की माँग की गयी है। आवेदक को दूरभाष के माध्यम
से जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु ऑनलाईन की गयी
आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर पुराना समाहरणालय, बोकारो के
कार्यालय में कमरा नम्बर-19 में जमा करे।

आवेदक द्वारा दिए गए ऑनलाईन आवेदन को जॉचोपरांत रिक्ति होने पर
प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,



जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बोकारो।